



पूर्व मध्य रेल, सोनपुर मंडल

“मरेप्र महोदय के साथ ई०सी०आर०के०यू० की मंडल
स्तरीय 35वीं स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक का कार्यवृत्त”

दिनांक-30.06.2023

स्थान-मरेप्र.सभाकक्ष/सोनपुर

वार्ता तंत्र (पी0एन0एम0) की बैठक का कार्यवृत्त

वार्ता तंत्र (पी0एन0एम0) की बैठक का कार्यवृत्त

वार्ता तंत्र (पी0एन0एम0) की बैठक का कार्यवृत्त

प्रशासन पक्ष		संघ पक्ष	
(सर्वश्री)		(सर्वश्री)	
1	नीलमणि	1	शिव प्रसाद यादव
2	दीपक राज राय	2	प्रियदर्शी राजीव
3	डा० रश्मि कांत	3	डी०के० झा
4	इंद्रेश कुमार	4	एस०सी०त्रिवेदी
5	अभिषेक कुमार	5	सत्येन्द्र कुमार सिंह
6	प्रसन्ना कात्यायन	6	बबलु कुमार
7	इस्तियाज आलम	7	आफताब आलम
8	पवन नाग	8	मंजीत मोहन
9	अभिजात कुमार	9	धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर
10	अभिषेक कुमार	10	आशुतोष कुमार सिंह
11	कुमार परमानंद	11	शैलेन्द्र कुमार सिंह
12	सुदर्शन पाण्डेय	12	रामसुभग सिंह
13	सुमित कुमार	13	विकाशचन्द्र पाल
14	शिवेन्द्र कुमार	14	मनोज कुमार गोस्वामी
15	अजय कुमार	15	धीरेन्द्रमणि तिवारी
16	चन्द्र किशोर	16	जीवानन्द मिश्रा
17	राघवेन्द्र कुमार	17	त्रिभुवन पासवान
		18	शशि शंकर सिंह
		19	मृत्युंजय शर्मा

❖	मकाधि (प्रभारी) का संबोधन : स्थाई वार्ता तंत्र की 35वीं एवं इस वर्ष की तृतीय बैठक का शुभारम्भ करते हुए इस वार्ता तंत्र के सचिव-सह-मंडल काभिक अधिकारी (प्रभारी) ने बैठक के अध्यक्ष एवं प्रशासन तथा यूनियन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। बैठक की कारवाई को आगे बढ़ाने के पहले, परिचर्या विन्दु पर औद्योगिक संबंध पूर्व की मॉटी सार्थक और कारगर स्थापित होने की उम्मीद जताई। साथ ही, श्री शिव प्रसाद जी से परिचर्या विन्दु पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु आग्रह किया।
❖	श्री शिव प्रसाद यादव, मंडल अध्यक्ष, ईसीआरकेयू का संबोधन : बैठक में प्रशासन पक्ष के सभी अधिकारी तथा यूनियन पक्ष के सभी आगन्तुक प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। साथ ही, पीएनएम एवं प्रेम की बैठक कैलेण्डर के अनुसार ससमय कराये जाने, वयन कैलेण्डर के अनुसार पदोन्नति संबंधी त्वरित कार्रवाही तथा कर्मचारी परिवाद के त्वरित निष्पादन के लिए मकाधि (प्रभारी) महोदय को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी हाल ही में संरक्षा एवं सुरक्षा शीर्ष पर कुछ कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। यह काफी अच्छी पहल है। इस प्रकार के पहल से नीचे स्तर पर कर्मचारियों के बीच अच्छा संदेश जाता है और अन्य कर्मचारी को भी इससे प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ इंट्रोडक्टरी के माध्यम से कुछ मुद्दे प्रशासन से समझ उजागर किये गये, जो निम्नरूपेण है: <ul style="list-style-type: none"> • रेलवे अस्पताल, गढ़हरा और स्वास्थ्य ईकाई, थानाबिहपुर/मानसी में किसी चिकित्सक की पदस्थापना नहीं होने से वहां पर कार्यरत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। • एक ट्रैकमेन्टेनर जो कुर्सेला में कार्यरत है, उसको विगत दिनों चोट लग गई। स्वास्थ्य ईकाई में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वह निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा है। उक्त कर्मचारी को एचओडी देने में रेलवे अस्पताल के द्वारा कई प्रकार के कागजात ज़की मांग की जा रही है। बाद में, यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में वार्ता के उपरांत उसको एचओडी दिया गया। • गढ़हरा, अस्पताल में वाटर कुलर एवं आर0ओ0 खराब है। जिसके कारण वहां मरीज एवं उनके परिजन को पीने योग्य पानी नहीं मिल पा रहा है। • ग्लोबल अस्पताल /बेगुसराय का पहले रेलवे अस्पताल से टार्ड-अप था, जिसका चिकित्सीय व्यवस्था काफी अच्छी थी और उक्त अस्पताल में ज़ायलेसिस की सुविधा उपलब्ध थी। वर्तमान में बरौनी/बेगुसराय के परिक्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सक द्वारा ज़ायलेसिस करवाने हेतु परामर्श दिया गया है। परंतु, इसकी सुविधा रेलवे अस्पतालों में नहीं रहने के कारण कर्मचारियों एवं उनके वार्ड को काफी कठिनाई होती है। इसलिए यूनियन यह मांग करती है कि ग्लोबल अस्पताल /बेगुसराय को रेलवे अस्पताल से निर्बंधित किया जाये, ताकि कर्मचारीगण उच्च स्तर की चिकित्सीय सुविधा प्राप्त कर सकें।

- गढ़हरा में पिछले दो महीने से पानी और बिजली की समस्या ने काफी भयाक्रांत रूप ले लिया है। जब कभी बिजली रहता है तो पंप से पानी का सप्लाई नहीं होता है और जब पंप ठीक रहता है तो बिजली नदारद रहती है। इन्हीं समस्या के बीच गढ़हरा में स्टील टैण्क के मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है, जिससे वहां टैण्क चॉक हो गया है। वर्तमान समय में आदमी के जरूरियात कार्य हेतु भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गढ़हरा में बिजल की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ओवर हेड हाई टेंशन वॉयर काफी जर्जर अवस्था में है। इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए।
- गढ़हरा में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंगा ब्रिज कॉलोनी में आर०सी०सी० टैण्क का निर्माण कराया जा रहा है। परंतु बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि 8 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद भी इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। यदि यह कार्य संपादित करा लिया जायेगा, तो निश्चित रूप से गढ़हरा में पानी की समस्याओं से हम निजात पा लेंगे।
- गढ़हरा में परित्यक्त रेल आवासों पर अवैध लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो रेलवे में रह रहे कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के सुरक्षा दृष्टिकोण से सही नहीं है। पूर्व में भी इस फोरम यह निर्णय हो चुका है कि परित्यक्त आवासों को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। परंतु, अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः यूनियन यह पुनः मांग करती है कि जो भी आवास परित्यक्त हो गया है, उसे अविलंब तोड़ा जाए।

- गढ़हरा कॉलोनियों में जो नाले हैं, वे काफी जर्जर हो गए हैं। नालों की चौड़ाई भी सिमट कर लगभग 2 इंच की हो गई है, बरसात के समय में पानी के समय में वहां पर जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः कॉलोनियों के नालों को चौड़ा कराये जाने की जरूरत है।

- कॉलोनियों में चूते हुए छत की मरम्मत करवाई जाए।
- गढ़हरा से बरौनी जाने वाले रास्ते पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाया जाए।
- बिल कार्यालय/बरौनी में वर्तमान में एक गार्ड द्वारा एक बिल लिपिक श्री संजीव कुमार पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें श्री संजीव कुमार बाल-बाल बच गए। यूनियन द्वारा इस संबंध में पूछ-ताछ पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि गलती गार्ड की ही थी। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोषी गार्ड पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
- यह बताते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि सोनपुर मंडल में कर्मचारी आपस में चंदा कर पीने हेतु पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। विगत काफी दिनों से यह यूनियन द्वारा ईएलएस/बरौनी में पीने हेतु पानी की समस्या हेतु प्रशासन को ध्यानाकृष्ट कराया जा रहा

है, परंतु प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं करने पर वहां पर सभी कर्मचारियों द्वारा इंडस्ट्रियल आरओ0 लगाने हेतु 2 लाख 9 हजार रूपए चंदा एकत्र किया गया है। यह काफी दुःख की बात है कि हम अपने कर्मचारियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और कर्मचारी अपने पैसे से पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं।

• बरौनी कोचिंग डिपो के शेड दोनों तरफ से खुला है। जिससे तूफान आने के कारण दोनों साइड का कवर टूट गया। बारिश के मौसम में पानी आने के कारण वहां पर लगातार पानी आता है, जिससे कार्य करने में काफी परेशानी हो रही है।

• आजकल मंडल में काफी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों से डबल ड्यूटी लिया जा रहा है। जिस कारण कर्मचारियों को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। यदि कर्मचारी निर्धारित घंटों से अधिक कार्य कर रहे हैं तो उन्हें नियमानुसार रेस्ट दिया जाना चाहिए। इस ससमस रेस्ट देने हेतु नियम को सर्वसंबंधित के बीच परिपत्रित कराया जाए।

• बरौनी में सभी सफाईवालों को सरप्लस कर उन्हें अन्य विभागों में समायोजित कर दिया गया है। परंतु काफी सफाईवाला कर्मचारियों को उनके स्थान से विरभित नहीं किया जा रहा है। यदि एजेन्सी द्वारा वहां पर कार्य शुरू कर दिया गया है तो उन कर्मचारियों को तत्काल विरभित कराया जाये।

• शाहपुर पटोरी खण्ड में कीमैन से ही पेद्रोलिंग का कार्य भी कराया जा रहा है। एक ही कर्मचारी से दो विभिन्न प्रकृति के कार्य कराये जा रहे हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है।

❖ श्री एस0 सी0 त्रिवेदी, मंडल मंत्री ईसीआरकेयू का संबोधन : बैठक में प्रशासन पक्ष के सभी अधिकारी तथा यूनियन पक्ष के सभी आगन्तुक

प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। साथ ही, मंडल में आये नये अधिकारी वमई (समन्वय)/सोनपुर का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व में यूनियन के साथ जैसे संबंध बने हैं वैसे भी आगे रहेंगे इसकी वांछा की। साथ ही, विगत दिनों कर्मचारियों को दिए गए रिकार्ड पदोन्नति पर प्रशासन पक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा हाल के दिनों में कर्मचारियों को दिए गए अधिकतम दण्ड पर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटना में जांच के अंतर्गत कुछ ट्रैक मेन्टेनर को रेल सेवा से हटा दिया गया। बाद में उन्हें पुनः बहाल किया गया और लगभग दो साल से वे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में वमई—1 के द्वारा हाल में एक आदेश पारित किया गया है कि नियम की जानकारी के अभाव में उनके द्वारा दिया गया दण्ड सेपटी से विधिज्ञा नहीं कराया गया था। अतः पुराना आदेश वापस लेते हुए उन्हें उसी समय से रेल सेवा से हटाया जाता है। यह आदेश अपने आप में अस्पष्ट है। यदि कर्मचारी कोर्ट में जाएगा तो वह तुरंत पुनः रेल सेवा में वापस आ जाएगा। प्रशासन को यह सोचना चाहिए कि एक ट्रैक मेन्टेनर कोटि के कर्मचारी के पास कितना पैसा होता है कि वह न्यायालय में कैसे लड़ेगा। न्यायालय में कैसे लड़ने के लिए उसे किसी से पैसा मांगना पड़ेगा। इतने

दिन तक अपने तथा परिवार के भरण-पोषण हेतु खर्च का दबाव अलग होगा। हमलोग अपने कर्मचारियों को किस ओर ले जा रहे हैं, इस पर प्रशासन को सोचना चाहिए। सक्षम आदमी के पास तो पैसा होता है, वह तुरंत कोर्ट जाता है और रिलीफ पा जाता है। परंतु गरीब कर्मचारियों का क्या? कर्मचारियों के बीच सेप्टी से जागरूकता के लिए कड़ा संदेश देने के लिए हम किसी गेटमैन को 14.2 के तहत रिमूव कर दे रहे हैं। यदि कोई कर्मचारी से गलती होता है तो उसके लिए डी एण्ड आर की प्रक्रिया है। उस पर जांच कराई जानी चाहिए। बिना किसी जांच के कर्मचारी को सीधे रेल सेवा से हटा देना समस्या का समाधान नहीं है। यदि हमलोग यह पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो सुपरवाइजर से लेकर नियंत्रक स्तर के अधिकारी द्वारा यह कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है। मंडल के 80 प्रतिशत गेट व्यस्त गेट हैं, जिसपर शराब माफिया का कब्जा है। गेट पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमने क्या बंदोबस्त किया है। अभी हाल ही में अक्षयवट राय नगर के गेट नंबर 27/सी पर कार्यरत गेटमैन को अनिवार्य सेवानिवृत्त करा दिया गया। इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर गेट खुल जाएगा तो सिग्नल प्ललाई होना चाहिए, परंतु वहां सिग्नल प्ललाई नहीं हुआ। वहां पर व्यक्ति बुम को उठाकर पार कर रहा था। लेकिन प्रशासन द्वारा जांच को गलत दिशा में मोड़ दिया गया। कुर्सेला में हमारा कर्मचारी कार्य करते हुए घायल हो गया और हम उसे एक्जोडी देने के लिए उसे इधर-उधर घुमा रहे हैं। टार्व में जो बैट्री सप्लाय हो रही है वह खराब है। अगर सप्लाय खराब आया है तो उसको चेक करके जो अधिकारी है उन्हें क्यों नहीं दण्डित किया जाए, पर इस पर प्रशासन मौन है। गार्ड बॉक्स खत्म हो गया है। गार्ड बिना गार्ड बॉक्स के चल रहा है। यदि कोई बात आएगी तो सीधे कर्मचारी को दण्डित किया जाएगा। हमलोग इस पर कितने दिन से वार्ता कर रहे हैं, परंतु कोई कुछ लिख कर देने को तैयार नहीं है। इसमें कर्मचारी का क्या दोष है। अभी हाल ही में मरेप्र महोदय द्वारा एक आवास का आवंटन रद्द कर दिया गया लेकिन आज तक आवास खाली नहीं हुआ। हमारा आपलोग से आग्रह है कि किसी बड़े मंत्री, आदि की बातों को ही न देखा जाए। यदि, यूनियन किसी समस्या की तरफ ध्यानाकृष्ट करा रही है तो उसे भी देखा जाना चाहिए। हमारा आपलोगों से आग्रह है कि नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाये। हमारे सुझावों को परिवाद नहीं समझा जाए। अभी हाल ही में समाधि विभाग का मामला आपलोगों के सामने ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहा कि समाधि विभाग के सुपरवाइजर द्वारा बायो-टॉयलेट के बारे में शिकायत पर ठेकेदार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया। ठेकेदार द्वारा उक्त सुपरवाइजर से कहा गया कि आपको जहां पर शिकायत करनी है वहां कीजिए। बाद में ठेकेदार द्वारा सभी जुर्माना को माफ करा लिया गया। इस प्रकार के कार्यवृत्ति से हमारे कर्मचारियों का मनोबल गिरता है। नारायणपुर में रेक को फिट देने का समय 6 घंटे से 4 घंटे कर दिया गया। कार्य को संपादित करने में 16 आदमी होने चाहिए परंतु कार्य 8 से 09 कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जा रहा है। कार्य के लिए आवश्यक मानव बल मुहैया नहीं कराया जा रहा है, परंतु यदि गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो कर्मचारी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जायेगा। हमलोग द्वारा हाजीपुर में स्टैण्ड बाई जनरेटर की

सुविधा मुहैया कराये जाने के शीर्ष पर कई पीएनएम से कहा जा रहा है, परंतु इस संबंध में कोई उचित पहल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। यदि, वर्तमान जनरेटर खराब हो जाए और हाजीपुर स्टेशन अंधेरे में डूब जाए तो इसका निम्नोक्त कौन होगा? वर्तमान में सोनपुर में लाइन की दृष्टि के बारे में सभी वाकिक हैं। जब से 33 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण का कार्य ठेकेदार को दिया गया है, तब से बिजली की स्थिति काफी खराब हो गई है। विद्युत विभाग का यह ठेकेदार कर्मचारियों और अधिकारियों से ज्यादा ताकतवर है। इसके सामने सभी मौन रहते हैं। ऐसे ठेकेदारों पर अंकुश लगाये जाने की जरूरत है। पहले के पीएनएम में स्वयं मरेण महोदय द्वारा यह सभी शाखाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि यदि सामूहिक कंप्लेन आता है तो उसकी सम्यक जांच कराई जाए तथा दोषी पर सम्यक कार्रवाई भी की जाए। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि डीआरएम सर आपके द्वारा दिये गये निर्देश के बावजूद भी टीआरडी विभाग में 60 कर्मचारियों द्वारा वहां के सीसेई श्री बैठा जी के खिलाफ सामूहिक रूप से लिखित शिकायत किया गया परंतु उस शिकायत पर कोई जांच नहीं कराई गई। आखिर क्या बात है कि रोटेशनल ट्रांसफर की प्रक्रिया के तहत श्री बैठा सीसेई बाहर आते हैं। वे विगत 15 साल से यही सोनपुर में कार्यरत हैं। यह स्थिति थानाबिहपुर में पदस्थापित पीडब्लूआई की भी है। पीडब्लूआई/थानाबिहपुर द्वारा रेस्ट के लिए, छुट्टी के लिए पैसा मांगा जाता है। वहां पर अपने मन से बिना कंपीटेन्सी के गेट पर कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी जाती है। सामुदायिक भवन, मुजफ्फपुर में ठेकेदार द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वहां पर वह अपना सामान रख रहा है। उसके द्वारा सामुदायिक भवन के फर्श को भी खराब कर दिया गया है। मेरे द्वारा आज सभी में कहे गये बातों पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने कर्मचारियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि कर्मचारियों द्वारा जी0आर0 का पालन नहीं किया जा रहा हो, एस0आर0 का पालन नहीं किया जा रहा हो सभी कार्रवाई की जाए। हरेक मामलों में हमें कर्मचारियों को दंडित करने से बचना चाहिए। गलती को ध्यान में रखते हुए दण्ड दिया जाना चाहिए। छोटी गलती के लिए भी बड़ा दण्ड देने से कर्मचारी हतोत्साहित होते हैं।

क्रमांक	1	सोनपुर मंडल में लोको पायलट शंटर का लगभग 105 पद स्वीकृत है जबकि सिर्फ 05 ही लोको पायलट शंटर उपलब्ध है। शंटिंग का कार्य वरीय सलोपा से लिया जाता है परंतु उनको पदोन्नति नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मेमू/डेमू रैक का शंटिंग लोको पायलट शंटर या लोको पायलट से कराने का नियम है परंतु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि अविलम्ब लोको पायलट शंटर के रिक्त पदों को पदोन्नति देकर भरा जाए एवं नियमानुसार शंटिंग का कार्य करवाया जाए।	
मद सं०	02/21		
सम्बद्ध	DPO(IC) & Sr.DEE (TRO)	अद्यतन अभियुक्ति	
लोको पायलट शंटर-1 लेवल 06 में पदोन्नति हेतु निचले ग्रेड में उपलब्ध 03 कर्मचारियों की सुयोग्यता जाँच हेतु भिसिल विभागीय अधिकारी वमविई (टीआरओ) के सक्षम उपयुक्ता जाँच हेतु प्रेषित की गई है। प्रसलोपा लेवल-04 से लोपा शंटर ग्रेड-02 (लेवल-4) में पदोन्नति के मामले में पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु अनिवार्य कोर्स उत्तीर्ण नहीं होने एवं पदोन्नति दिये जाने से सालोपा संवर्ग में कर्मचारियों की कमी होने से Operational imbalance होने के शीर्ष पर वमविई/टीआरओ/सोनपुर द्वारा मुख्यालय/हाजीपुर से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार मुख्यालय हाजीपुर को संदर्भ किया जा रहा है।		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		मकाधि (प्रभासी) एवं वमविई (टीआरओ) समीक्षा कर इसे शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाए।	शंटर की रिक्ति को भरने के प्राधान्यनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इसको पूर्ण किया जाये।

क्रमांक	2	नारायणपुर अनंत में कोई नाला नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में जल जमाव हो जाता है। वहाँ महीनों तक वैसे ही जल जमाव रहता है जिससे कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे नालों का निर्माण किया जाए एवं जल जिसकी निकासी ऐसे जगह किये जाए कि जलजमाव न हो।	
मद सं०	17/21		
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	
		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		कार्य प्रगति पर है। यह कार्य दिनांक-30.06.2023 तक पूरा करा लिया जाएगा।	वमई /समन्वय /समीक्षा कर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई किया जाए।

क्रमांक	3	उक्त खण्ड में किसी भी स्टेशन पर Relieving Lodge की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे परिवालन विभाग के कर्मचारियों को काफी असुविधा होती है। अतः संघ ये भोग करती है कि उक्त खण्ड के सभी स्टेशनों पर Relieving Lodge की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाए। प्राथमिकता पर सोनपुर एवं दिघवारा में की जा सकती है।		
मद सं०	21/21			
सम्बद्ध	St.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
इस कार्य के लिए Joint Survey करा लिया गया है तथा जरूरी इंजीनियरिंग कार्य 15 जुलाई तक पूरा करा लिया जाएगा।			यथावत। अगले पीएनएम के पूर्व कर लिया जाय।	इसको जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाए। वमपचाप्र फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करायें।

क्रमांक	4	विद्युत लोको शेड/बरौनी में लैब कार्य के लिए अभी तक सीएमएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है।		
मद सं०	08/22			
सम्बद्ध	St.DEE(TRS)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
विद्युत लोको शेड/बरौनी में लैब कार्य के लिए सीएमएस की नियुक्ति हेतु आरआरबी से बहाली प्रक्रिया करने के लिए पत्र सं०-ईएलएस/बीजेयू/103, दिनांक-03.06.2021 एवं 31.05.2023 को भरेपत्र (का)/सोनपुर को दिया गया है तथा वर्तमान में श्री रितेश, एसएसई/ईएलएस/बरौनी को आरडीएसओ लखनऊ दि०-10.10.2022 से 14.10.2022 तक यूएसटी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया तथा सफल प्रशिक्षण उपरांत यूएसटी का कार्य करवाया जा रहा है, काफी जरूरत होने पर सीएमएस डीजल शेड/समस्तीपुर को बुलाकर यूएसटी का कार्य करवाया जाता है।		सीधी भर्ती कोट से नियुक्ति के अतिरिक्त मुख्यालय से पदस्थापना हेतु अनुरोध की जाए। यथावत।		

क्रमांक	5	विद्युत लोको शेड/बरौनी अभी तक कर्मचारियों की संख्या 200 से अधिक हो गयी है किन्तु रेल आवास मात्र 36 है। रेल आवास की समुचित व्यवस्था किया जाय। आर0पी0एस0एफ0 के खाली आवासों को अगर शेड को दे दिया जाय तो समस्या का समाधान हो जाता।	
मद सं0	08/22		
सम्बद्ध	St.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		Work Order जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही कार्य करा दिया जायेगा।	टीआरएस द्वारा नये आवास के लिए प्रस्ताव दिया जाये। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पुराने आवास की मरम्मत सुनिश्चित की जाए। यथावत।
		पिछले बैठक का निर्णय	पूर्व में प्रकरण आयोजित बैठक में निर्णित है कि आरपीएफ बैरक बनने के बाद आरपीएफ के द्वारा क्वार्टर खाली करने पर सभी आवास इएलएस बरौनी को हस्तगत करया जाएगा। मद बंद।

क्रमांक	6	लोको शेड/बरौनी में कांटावाला के बिना ही शंटिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः कांटावाला का यथाशीघ्र परिचालन विभाग के द्वारा पदस्थापना किया जाए।	
मद सं0	8/22		
सम्बद्ध	St.DOM	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		वर्तमान में गुप डी संवर्ग में 115 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिसके कारण Separate कर्मचारी की व्यवस्था संभव नहीं है। अतः कर्मचारी उपलब्ध होने पर पूर्व में निर्गत JPO की समीक्षा के उपरान्त ही लोको शेड/बरौनी में अलग से शंटिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।	नये पैनल मिलने पर वहां पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। मद बंद।
		पिछले बैठक का निर्णय	सेपरेट पैन पावर की व्यवस्था की जाए। यथावत।

क्रमांक	7	NER, NFR में सोनपुर के गाड़ी मैनेजर को होने वाले परेशानी के संबंध में।		
मद सं०	16/22	सोनपुर मंडल के गाड़ी मैनेजर मुख्यतः एनईआर एवं एनएफआर के कमश- छपरा, बनारस, गोरखपुर एवं कटिहार ज्वाइन्ट पर गाड़ी लेकर जाते हैं। उन दोनों रेलवे में लाईन बॉक्स बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सोनपुर मंडल के गाड़ी मैनेजर को वहाँ लाईन बॉक्स लेकर गाड़ी कार्य करते हुए जाने में काफी असुविधा होती है। अतः संघ मॉग करती है कि उन दोनों रेलवे से बात कर समस्या का निदान किया जाय ताकि गाड़ी मैनेजर अपने संस्था उपकरणों के साथ गाड़ी परिचालन का कार्य सुचारु रूप से कर सके।		
सम्बद्ध	St.DOM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
इस संबंध में मुख्य परिचालन प्रबंधक (सामान्य)/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर को दिनांक-23.01.2023 को पत्र लिखा गया है, क्योंकि यह नीतिगत मामला है। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर निर्णय अपेक्षित है।			इसको examine कराते हुए मामले का निष्पादन किया जाए।	इसको examine कराते हुए मामले का निष्पादन किया जाए।

क्रमांक	8	विद्युत लोको शेड/बरौनी में विद्युत संचालन बाधित होने पर रात्रि ड्यूटी करने में कर्मचारियों को परेशानी होती है, लाइट का कोई प्रबंध नहीं किया गया है।		
मद सं०	08/22			
सम्बद्ध	DEE(IC)/G	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		सीसेई/विद्युत/बरौनी को निर्देश दिया गया है कि Requirement के हिसाब से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये।	वमविइ/टीआरएस अपना रिक्वायरमेंट को examine करते हुए वमविइ/विद्युत(सामान्य)के साथ समन्वय कर इसको अविलंब निष्पादन किया जाए। डीजी सेट का पुनर्वितरण सुनिश्चित किया जाय।	यथावत।

क्रमांक	9	सोनपुर मंडल के सभी समपार पर प्रकाश एवं पंखा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।		
मद सं०	04/22			
सम्बद्ध	DEE (IC)/G	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		अधिकांश एलसी.सी. गेटों पर पंखा लगा दिया गया है। जिन गेटों पर इंजी० विभाग द्वारा हुक का प्रावधान - जैसे जैसे किया जा रहा है, वैसे वैसे पंखा लगाया जा रहा है।	DEE (IC)/G/SEE एक महीने के अंदर सभी गेटों पर पंखा लगाना सुनिश्चित करें।	यथावत। 15 दिनों के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	10	एक तरफ लगातार सफाई कर्मचारियों का पद समाप्त किया जा रहा है परंतु सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे रेल कर्मचारियों के आवासों (कॉलोनिजों) का सफाई सही से नहीं हो रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि कॉलोनी की साफ सफाई की उचित व्यवस्था किया जाय।		
मद सं०	04/22			
सम्बद्ध	CMS			
		अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		सभी रेलवे कॉलोनीयों के सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना है। इस कम में हाजीपुर, सोनपुर एवं बरौनी कॉलोनी का कार्य निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। शेष बचे कॉलोनिजों के सफाई के कार्य आउटसोर्सिंग जल्द से जल्द करा दिया जाएगा।	आउटसोर्सिंग प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। यथावत।	1 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्रमांक	11	विद्युत लोको शेड/बरौनी का कैडर क्लोज हुए एक माह से ज्यादा हो चुका है किन्तु अभी तक वरीयता सूची जारी नहीं किया गया है जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति में विलंब हो रहा है।		
मद सं०	8/22			
सम्बद्ध	DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		विद्युत लोको शेड/बरौनी का कैडर क्लोज दिनांक 12.08.2022 से किया गया है। दिनांक 01.01.2023 के स्थिति में सभी कर्मचारियों की वरीयता सूची जारी कर दी गयी है। पदोन्नति प्रक्रिया के कम में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या:462 दिनांक:27.06.2023 द्वारा कुल 33 कर्मचारियों को टेक-111 जीपी 1900 से टेक-11 जीपी 2400 में पदोन्नति प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त टेक-1 जीपी 2800 में पदोन्नति पात्र 4 कर्मचारियों का सुयोग्यता जॉच हेतु नाभित कभिदि के समक्ष प्रस्तुत है एवं हेल्पर से टेक-111 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के तहत भी पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।	मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए।	मद बंद।

क्रमांक	5	विद्युत लोको शेड/बरौनी अभी तक कर्मचारियों की संख्या 200 से अधिक हो गयी है किन्तु रेल आवास मात्र 36 है। रेल आवास की समुचित व्यवस्था किया जाय। आर०पी०एस०एफ० के खाली आवासों को अगर शेड को दे दिया जाय तो समस्या का समाधान हो जाता।	
मद सं०	08/22		
सम्बद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
Work Order जारी किया जा चुका है। शीघ्र ही कार्य करा दिया जायेगा।		पिछले बैठक का निर्णय	पूर्व में प्रकरण आयोजित बैठक में निर्णित है कि आरपीएफ बैरक बनने के बाद आरपीएफ के द्वारा क्वार्टर खाली करने पर सभी आवास इलुएस बरौनी को हस्तगत करया जाएगा। मद बंद।

क्रमांक	6	लोको शेड/बरौनी में कांटावाला के बिना ही शंटिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः कांटावाला का यथाशीघ्र परिचालन विभाग के द्वारा पदस्थापना किया जाए।	
मद सं०	8/22		
सम्बद्ध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
वर्तमान में ग्रुप डी संवर्ग में 115 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिसके कारण Separate कर्मचारी की व्यवस्था संभव नहीं है। अतः कर्मचारी उपलब्ध होने पर पूर्व में निर्गत JPO की समीक्षा के उपरान्त ही लोको शेड/बरौनी में अलग से शंटिंग कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाना संभव होगा।		पिछले बैठक का निर्णय	नये पैनल मिलने पर वहां पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। मद बंद।

क्रमांक	7	NER, NFR में सोनपुर के गाड़ी मैनेजर को होने वाले परेशानी के संबंध में।		
मद सं०	16/22	सोनपुर मंडल के गाड़ी मैनेजर मुख्यतः एनईआर एवं एनएफआर के कमश- छपरा, बनारस, गोरखपुर एवं कटिहार ज्वार्डेंट पर गाड़ी लेकर जाते हैं। उन दोनों रेलवे में लाईन बॉक्स बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सोनपुर मंडल के गाड़ी मैनेजर को वहाँ लाईन बॉक्स लेकर गाड़ी कार्य करते हुए जाने में काफी असुविधा होती है। अतः संघ मॉग करती है कि उन दोनों रेलवे से बात कर समस्या का निदान किया जाय ताकि गाड़ी मैनेजर अपने संरक्षा उपकरणों के साथ गाड़ी परिचालन का कार्य सुचारु रूप से कर सकें।		
सम्बद्ध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		इस संबंध में मुख्य परिचालन प्रबंधक (सामान्य)/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर को दिनांक-23.01.2023 को पत्र लिखा गया है, क्योंकि यह नीतिगत मामला है। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर निर्णय अपेक्षित है।	इसको examine करते हुए मामले का निष्पादन किया जाए।	इसको examine करते हुए मामले का निष्पादन किया जाए।

क्रमांक	8	विद्युत लोको शेड/बरौनी में विद्युत संचालन बाधित होने पर रात्रि ड्यूटी करने में कर्मचारियों को परेशानी होती है, लाइट का कोई प्रबंध नहीं किया गया है।		
मद सं०	08/22	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
सम्बद्ध	DEE(IG)/G	सीसेई/विद्युत/बरौनी को निर्देश दिया गया है कि Requirement के हिसाब से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये।	वमविइ/टीआरएस अपना रिक्वायरमेंट को examine करते हुए वमविइ/विद्युत(सामान्य)के साथ समन्वय कर इसको अविलंब निष्पादन किया जाए। डीजी सेट का पुर्नवितरण सुनिश्चित किया जाय।	यथावत।

क्रमांक	9	सोनपुर मंडल के सभी समपार पर प्रकाश एवं पंखा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।		
मद सं०	04/22	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
सम्बद्ध	DEE (IC)/G	अधिकांश एलसी.सी. गेटों पर पंखा लगा दिया गया है। जिन गेटों पर इंजी० विभाग द्वारा हुक का प्रावधान - जैसे जैसे किया जा रहा है, वैसे वैसे पंखा लगाया जा रहा है।	DEE (IC)/G/SEE एक महीने के अंदर सभी गेटों पर पंखा लगाना सुनिश्चित करें।	यथावत। 15 दिनों के अंदर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	10	एक तरफ लगातार सफाई कर्मचारियों का पद समाप्त किया जा रहा है परंतु सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे रेल कर्मचारियों के आवासों (कॉलोनियों) का सफाई सही से नहीं हो रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि कॉलोनी की साफ सफाई की उचित व्यवस्था किया जाय।		
मद सं०	04/22			
सम्बद्ध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		सभी रेलवे कॉलोनीयों के सफाई का कार्य आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना है। इस कम में हाजीपुर, सोनपुर एवं बरौनी कॉलोनी का कार्य निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। शेष बचे कॉलोनियों के सफाई के कार्य आउटसोर्सिंग जल्द से जल्द करा दिया जाएगा।	पिछले बैठक का निर्णय आउटसोर्सिंग प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित किया जाय। यथावत।	1 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्रमांक	11	विद्युत लोको शेड/बरौनी का कैडर क्लोज हुए एक माह से ज्यादा हो चुका है किन्तु अभी तक वरीयता सूची जारी नहीं किया गया है जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति में विलंब हो रहा है।		
मद सं०	8/22			
सम्बद्ध	DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		विद्युत लोको शेड/बरौनी का कैडर क्लोज दिनांक 12.08.2022 से किया गया है। दिनांक 01.01.2023 के स्थिति में सभी कर्मचारियों की वरीयता सूची जारी कर दी गयी है। पदोन्नति प्रक्रिया के कम में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या:462 दिनांक:27.06.2023 द्वारा कुल 33 कर्मचारियों को टेक-111 जीपी 1900 से टेक-11 जीपी 2400 में पदोन्नति प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त टेक-1 जीपी 2800 में पदोन्नति पात्र 4 कर्मचारियों का सुयोग्यता जॉब हेतु नामित कमीटि के समक्ष प्रस्तुत है एवं हेल्पर से टेक-111 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के तहत भी पदोन्नति की कार्यवाही की जा रही है।	मामले में त्वरित कार्यवाई की जाए।	मद बंद।

क्रमांक	12	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार कुछ कर्मचारी एन0पी0एस0 से ओ0 पी0 एस0 में आये हैं। इनका नवम्बर 2020 से एनपीएस खाता बंद होकर पीएफ खाता में पैसा स्थानान्तरण होना था परंतु लगभग दो वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक यह कार्य संभव नहीं हो पाया है एवं कुछ कर्मचारियों का भेटिंग भी नहीं हुआ है तथा कुछ का तो पात्रता रहने के बावजूद ओ0पी0एस0 में अभी तक नहीं भेजा गया है। अतः संघ यह मॉग करती है कि पात्र कर्मचारियों के पीएफ खाते में यथाशीघ्र राशि स्थानान्तरित किया जाय। जिनका भेटिंग नहीं हुआ है, उनका भेटिंग किया जाय साथ ही पात्र कर्मचारियों को ओपीएस की सुविधा प्रदान की जाय।	
मद सं0	03/22		
सम्बद्ध	St.DFM & DPO/IC	अद्यतन अभियुक्ति	
उपरोक्त विषय के संबंध में वैसे कर्मचारी जो रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 D-43/12/2018-F(E)III RBE No.28/2020 दिनांक 03-03-2020 के द्वारा NPS से OPS के लिए कुल 151 कर्मचारी सोनपुर मंडल में पात्र पाए गए हैं। P/B+RPF+RPSF (131+16+4)=151 में से 146 कर्मचारी का सेवा अभिलेख लेखा विभाग में प्राप्त हुआ जिसमें 146 का Vetting हो गया। जिसमें Executive के द्वारा कुल 130 (P/B-114,RPSF-04, RPF-12) कर्मचारी का कटौती विवरण तैयार कर लेखा विभाग को प्राप्त हुआ। जिसमें सभी 130 कर्मचारियों का NSDL से राशि मंगवाने के लिए Process कर दिया गया है। शेष (151-130= 21) जिसमें P/B & Engrg. DDO+RPF(17+4) कर्मचारी का कटौती विवरण तैयार कर लेखा विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक 124 कर्मचारी का PF में राशि का समायोजन हो गया है। शेष 06 का NSDL से राशि अभी नहीं आया है। 2004 NPS से Close होने तक कटौती विवरण PF Laser में Entry कर Interest की गणना की जाती है। जिसमें काफी समय लगता है। NSDL से राशि आने में लगभग 03 माह का समय लग जाता है।		पिछले बैठक का निर्णय	
		वैसे कर्मचारीगण जिनके द्वारा आवेदन कट आफ तिथि से पूर्व कार्यालय में जमा कराया गया है पर प्रशासनिक देरी के कारण इस हेतु अपात्र घोषित किए जा रहे हैं उनके आवेदन की पुनः समीक्षा की जाए। यथावत। यथावत।	
		यथावत।	

क्रमांक	13	आरआरबी मुज0 में जाने का एकमात्र रास्ता बटलर मेन रोड से है। मेन रोड से आरआरबी के बीच लगभग 50 मीटर सड़के का ढलाई नहीं हुआ है जिस कारण बरसात के दिनों में वहाँ पानी जम जाता है जिससे कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है साथ ही कोई स्टैण्ड नहीं होने से कई कर्मचारियों का मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। अतः संघ मॉग करती है कि उक्त कार्यालय हेतु पहुँच पथ एवं सार्दिकिल स्टैण्ड का निर्माण करवाया जाय जिससे कर्मचारियों को इस गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सके।		
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को जून 2023 तक पूरा करा लिया जायेगा।	समीक्षा की जाए। यथावत।	मद बढ़।

क्रमांक	14	ईस्टर्न रेलवे कॉलोनी गढहरा में लगभग 50 ऐसे आवास हैं जिसमें पानी की टंकी नहीं है और जिन आवासों में है वो जर्जर अवस्था में हैं जिससे रेल कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।		
मद सं0	04/23	अतः संघ मॉग करती है कि उक्त रेलवे कॉलोनी में नई पानी टंकी लगाई जाय।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		Tube well बनाने का कार्य प्रगति पर है। इसे शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।	समीक्षा की जाए। यथावत।	त्वरित कार्रवाई की जाए।

क्रमांक	15	अभियंत्रण विभाग के कर्मचारियों की मूलभूत समस्या के संबंध में।		
मद सं0	05/23	1. गेट पर कार्यरत कर्मचारियों को समय से बैट्री निर्गत नहीं किया जाता है जिससे प्रोसिड सिग्नल देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2. पेट्रोलमैन को सर्दी का जैकेट नहीं दिया गया है। 3. ट्रैकमेन्टेनर को 2022 का जुता नहीं दिया गया है। 4. सोनपुर मंडल के वसेई/जेई/रेलपथ के यहाँ से कार्ड पास नवीनीकरण एवं नया प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि अभियंत्रण विभाग के उक्त समस्याओं का निदान यथाशीघ्र किया जाय।	पिछले बैठक का निर्णय	
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		1. बैट्री का स्टॉक मद है। इस सामग्री का आपूर्ति समस्तीपुर मंडार डिपो के माध्यम से होता है। सभी इंजी0 इकाई आवश्यकतानुसार अपना-अपना डिमांड UDM Portal के माध्यम से प्रेषित कर सामग्री की आपूर्ति करते आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो ट्रॉन्क उपलब्ध करायी जा रही है। वो Chargeable है। इसलिए बैट्री की आवश्यकता नहीं है। 2. यह सामग्री क्रय हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित सामग्री क्रय	कार्ड पास संबंधी समस्याओं का निदान सुनिश्चित किया जाए।	यथावत।

		होते ही आपूर्ति कर दिया जाएगा। 3. Safety Shoes की निविदा हेतु प्रक्रिया अंतिम चरण में है एवं सामग्री आपूर्ति के पश्चात सभी युनिट को आपूर्ति करा दिया जाएगा। 4. सोनपुर मंडल के वसेई/जेई/रेल पथ काई पास का नवीनीकरण करा दिया गया है।	
--	--	--	--

क्रमांक	16	सोनपुर मंडल में कार्यरत महिलाओं के लिए रिलिभिंग लॉज की व्यवस्था करने के संबंध में।	
मद सं०	06/23		
सम्बद्ध	St.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		महिला शौचालय का प्रावधान PWS/SEE, IOW/HJP एवम समई/सोनपुर कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है तथा इसे अन्य जगहों पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा। रिलिभिंग लॉज की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाएगी।	पिछले बैठक का निर्णय पूरे मंडल में मैपिंग करते हुए संख्या ज्ञात किया जाये तदनुसार इसके लिए कार्रवाई की जाए। यथावत।

क्रमांक	17	1. ऐसा देखा जा रहा है कि कई मंडलों में आर्टिजन कर्मचारियों (अभियंत्रण) को वर्दी भत्ता दिया जा रहा है परंतु अपने मंडल में भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि इसकी समीक्षा कर वर्दी भत्ता का एरियर सहित भुगतान किया जाय।	
मद सं०	12/23	2. वसेई/कार्य/बरौनी एवं गढ़हरा के आर्टिजन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता भुगतान के संबंध में। वसेई/पथ/बरौनी, गढ़हरा में कार्यरत आर्टिजन कर्मचारियों को वर्दी भत्ता का भुगतान किया जाता है लेकिन वसेई/कार्य/बरौनी एवं गढ़हरा यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों को वर्दी भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः संघ मॉग करती है कि वसेई/पथ/बरौनी एवं गढ़हरा में कार्यरत कर्मचारियों को भी वर्दी भत्ता का भुगतान किया जाय। मद सं०-49 मर्ज।	
सम्बद्ध	St.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		रेलवे बोर्ड का पत्र के RBE No.141/2017 दिनांक 03.10.2017 के आदेश में वसेई/पथ के कोटि ट्रैक मैन को वर्दी भत्ता देने के लिए आदेशित है। आर्टिजन कर्मचारी को वर्दी भत्ता देने के लिए आदेशित नहीं है।	पिछले बैठक का निर्णय अन्य मंडलों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को अपनाया जाए। यथावत।

क्रमांक	18	सोनपुर मंडल के गढ़हरा, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर के रेलवे कॉलोनिर्यो के बीच काफी जगह है एवं वहाँ जंगल उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ गंदगी का ढेर लग जाता है जो काफी खराब लगता है। अतः संघ मॉग करती है कि उक्त स्थल को विहित कर पार्क का निर्माण कराया जाय।		
मद सं०	19/23			
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति		
		सोनपुर में ब्यूटी पार्क तथा तिकोनिया पार्क बना दिया गया है।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		गढ़हरा में भी पार्क बना दिया गया है।	लोकेशन चिन्हित किये जाय। यथावत।	यथावत।

क्रमांक	19	सोनपुर मंडल के सभी गार्डों के लिए FIR फॉर्म, शिकायत पुरतिका एवं गार्ड प्रमाण पत्र आदि की आपूर्ति काफी लम्बे समय से नहीं हो रहा है जिसे वे अपने खर्च पर उक्त कार्य का निष्पादन कर रहे हैं और अपना रेल कार्य कर रहे हैं। अतः उक्त समाग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।		
मद सं०	17/23			
सम्बद्ध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति		
		बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन में सम्बन्धित फॉर्म की आपूर्ति हेतु स्टेशनरी स्टोर को आवश्यक निर्देश दिया गया है यथाशीघ्र आपूर्ति करा दिया जायेगा।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
			वांछित स्टेशनरी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।	मद बंद।

क्रमांक	20	सोनपुर मंडल के परिचालन गेट जिसका टीभीयू 50000 से अधिक है एवं कार्य का दबाव अधिक है। वहाँ 8 घण्टों का ड्यूटी रोस्टर लागू किया जाय।		
मद सं०	18/23			
सम्बद्ध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति		
		50000 या अधिक टीभीयू वाले गेटों की सूची प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु कर्मिक विभाग को पत्र निर्गत किया जाएगा।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
			समीक्षा की जाए। यथावत।	समीक्षा की जाए। यथावत।

क्रमांक	21	सोनपुर मंडल के अधिकांश आवासों में बिजली की वायरिंग वर्षों पुराना एवं जर्जर स्थिति में है। जिसमें कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अतः संघ मॉग करती है कि इसकी समीक्षा कर आवासों में विद्युत का नया अपडर वायरिंग कराया जाए। खास कर वैसे आवासों का जिसमें अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है।		
मद सं०	23/23			
सम्बद्ध	DEE (IC)/G	अद्यतन अभियुक्ति		
		क्वार्टर के वायरिंग हेतु एक कार्य PH-51 मे प्रस्तावित किया गया है। कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् रेल आवासों के रिवायरिंग का कार्य करा लिया जायेगा। पिछले पाँच वर्षों से यह कार्य PH-51 मे प्रस्तावित किया जा रहा है। परन्तु यह कार्य स्वीकृत नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कुछ जर्जर स्थिति वाला रेल क्वार्टर को चिन्हित कर Revenue में कार्य कराने हेतु प्रस्ताव मंरेप्र/सोनो महोदय के स्वीकृति हेतु प्रकिया में है।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
			इसके अतिरिक्त एक सर्वे किया जाए और आवश्यकतानुसार उसके लिए अलग से कार्रवाई जाए।	यथावत।

क्रमांक	22	रनिंग कर्मचारियों को लाभ समय से ज्ञायरी का वितरण एवं वाटर बोतल का वितरण नहीं हो रहा है। उपरोक्त समायी का वितरण सुनिश्चित किया जाय।		
मद सं०	25/23	अद्यतन अभियुक्ति		
सम्बद्ध	Sr.DEE (TRO)	लोको पायलट को ज्ञायरी की आपूर्ति फर्म के द्वारा दिनांक-05.05.2023 को की गई, जिससे लोको पायलटों में वितरित किया जा रहा है। निधि की अनुपलब्धता के कारण वाटर बोतल का कय नहीं हो पा रहा है। निधि उपलब्ध होते ही वाटर बोतल के कय संबंधी आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।	पिछले बैठक का निर्णय फंड के रिकवियरमेंट को रेज किया जाये।	निर्णय वाटर बोतल स्पेशीफाई है कि नहीं इसकी समीक्षा करें। यदि देय है, तो इसको दिया जाए।

क्रमांक	23	कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उम्मीद कार्ड की अवधि समाप्त हो रही है। जिस कारण कर्मचारी चिकित्सा सुविधा लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि उम्मीद कार्ड की अवधि बढ़ाई जाय जिससे कर्मचारियों उक्त सुविधा लेने में परेशानी न हो।		
मद सं०	28/23	अद्यतन अभियुक्ति		
सम्बद्ध	DPO(C)	सभी बड़े स्टेशनों यथा- बरौनी, मुजफ्फरपुर एवं सोनपुर, में कैम्प लगाकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का उम्मीद कार्ड की अवधि बढ़ाई जाने हेतु समस्या का निष्पादन किया गया है।	पिछले बैठक का निर्णय सभी बड़े स्टेशनों यथा- बरौनी, मुजफ्फरपुर एवं सोनपुर में इसके लिए कैम्प का आयोजन किया जाए।	निर्णय मद बंद।

क्रमांक	24	CR (अनिवार्य विश्राम) उपभोग की समय सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में।		
मद सं०	37/23	सोनपुर मंडल में स्टेशन मास्टर्स की रिक्तियाँ अत्याधिक हैं, जिस कारण उनको लगातार विश्राम नहीं मिल पाता है विशेष कर कटिहार संक्षान में विश्राम नहीं मिल पाने के कारण जो CR (अनिवार्य विश्राम) उत्पन्न होता है, निर्धारित समयावधि एक माह के अंदर उपभोग करना संभव नहीं हो पाता है। अतः संघ मॉग करती है कि सी0आर0 के लिए निर्धारित समय अवधि एक माह से बढ़ाकर 12 माह किया जाए।		
सम्बद्ध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति नीतिगत स्थापना मामलों से संबंधित है, जिस पर कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। कार्मिक विभाग- यह नीतिगत मामला है, इस मद पर बैठक में चर्चा की, जाएगी।	पिछले बैठक का निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा इसकी समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाए।	निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा समीक्षोपरांत संबंधित गाइडलाइन जारी किया जाये।

क्रमांक	25	सोनपुर मंडल के मेल गाड़ी प्रबंधकों को 2017 के बाद कोई लिक डायग्राम जारी नहीं किया गया है और बीओएस भी नहीं बढ़ा है। जिसके कारण गाड़ी प्रबंधकों का पदोन्नति प्रभावित हो रहा है। अतः संघ मॉग करती है कि बड़े हुए गाड़ियों के संख्या के आधार पर नया लिक डायग्राम जारी किया जाए।			
मद सं०	38/23				
सम्बद्ध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		गाड़ लिक डायग्राम मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय से संपर्क किया गया जिसके अनुसार इस माह के अन्त तक गाड़ लिक डायग्राम सभी मंडल हेतु निर्गत किया जायेगा। जिसके आधार पर ही मेल/एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ के बीओएस की समीक्षा की जाती है।		समीक्षा की जाए।	मद बंद।

क्रमांक	26	सोनपुर पैनल एवं उप-स्टेशन अधीक्षक कार्यालय को वार्तानुकूलित करने के संबंध में।			
मद सं०	42/23	सोनपुर पैनल दूसरी मंजिल पर है एवं कार्यालय की बनावट इस प्रकार है कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है जिससे कार्य करने में असुविधा होती है। साथ ही सोनपुर उपस्टेशन अधीक्षक कार्यालय प्लेटफार्म पर अवस्थित है जिससे प्लेटफार्म का कोलाहल भी एकाग्रता को भंग करता है।			
सम्बद्ध	St.DEE(G)	अतः संघ यह माँग करती है कि दोनों कार्यालय को अविलम्ब वार्तानुकूलित किया जाय।			
		अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	
		रेलवे बोर्ड के मानक के अनुसार पैनल रूम एवम स्टेशन मास्टर कार्यालय में ए०सी० लगाने का कोई प्रावधान/सर्कुलर नहीं है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जाएगी।	इसको करा लिया जाए।	ए०सी० लगाने हेतु आवश्यक कार्य योजना तैयार किया जाए। वमपचाए एवं वमविर्द/सामान्य इसकी जांच करें।	

क्रमांक	27	वर्सेई/पथ/सोनपुर कार्यालय में विद्युत वायरिंग काफी जर्जर स्थिति में है। इसे नये शिरे से वायरिंग करवाने की आवश्यकता है एवं परिसर में भी अंधेरा रहता है वहाँ प्रकाश की समुचित व्यवस्था किया जाय।		
मद सं०	43/23	निर्णय		
सम्बद्ध	St.DEE(G)	अद्यतन अभियुक्ति		
		पिछले बैठक का निर्णय		
नया वायरिंग का कार्य कराया जा रहा है।		यथावत।		मद बंद।

क्रमांक	28	विद्युत (टीआरडी) विभाग में प्रवर टेक0 (टावर वैगन चालक) पद पर पदोन्नति के संबंध में।		
मद सं0	45/23	तकनीशियन-1 लेवल-05 (टावर वैगन चालक) का पदोन्नति प्रवर टेक (टावर वैगन चालक) में वर्षों से लम्बित है। अतः संघ भोग करती है कि उक्त पदोन्नति को यथाशिघ्र किया जाय।		
सम्बद्ध	DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति		
		विद्युत (टीआरडी) विभाग में टावर वैगन चालक के बीओएस के अनुसार टावर वैगन चालक लेवल-6 एवं लेवल - 07 का पद स्वीकृत नहीं है। अतः स्वीकृत पद के अनुपलब्धता के कारण टावर वैगन चालक लेवल-6 में पदोन्नति किया जाना स्थापना नियमावली के तहत अनुमेष्य नहीं है।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
			यथावत।	यथावत।

क्रमांक	29	सामान्य मंडार डिपो, गढ़हरा के आर्टिजन संवर्ग को मर्ज करने के संबंध में।		
मद सं0	45/23	गढ़हरा डिपो में कार्यरत आर्टिजन कर्मचारियों का पदोन्नति हेतु अपर ग्रेड में पद स्वीकृत नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रहा है जिस कारण उक्त कर्मचारी को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः संघ भोग करती है कि आर्टिजन संवर्ग को मर्ज कर दिया जाय। जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर अधिक से अधिक मिले।		
सम्बद्ध	DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति		
		गढ़हरा डिपो में आर्टिजन कोटि में कुल 14 पद स्वीकृत था। वर्तमान में उक्त कोटि के 03 पदों का अन्य यूनिट में स्थानांतरण एवं 04 पदों को अभ्यर्पित किया जा चुका है। शेष 07 पदों को आर0बी0ई0 सं0 116/2016 के अनुसार मर्जर की प्रक्रिया की जा रही है।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
			यथावित्त कार्रवाई की जाए।	यथावत।

क्रमांक	30	गाड़ियो संचालन वरीयता/पद के अनुरूप कराये जाने के संबंध में।		
मद सं0	45/23	प्रायः देखा जा रहा है कि लोपा/पै0 से मेमू ट्रेन एवं लोपा/माल से मेल एक्सप्रेस एवं सुपर फास्ट गाड़ियों चलवाई जा रही है। अतः संघ यह भोग करती है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण उपरांत ही वरीयता/पद के अनुकूल चालको से गाड़ियो संचालन किया जाय।		
सम्बद्ध	Sr.DEE(TRO)	अद्यतन अभियुक्ति		
		मेमू प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित Schedule के आलोक में मंडलीय वरीयता के अनुसार मेमू प्रशिक्षण कराया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में मेमू प्रशिक्षणोपरांत लोको पायलट की बुकिंग वरीयता/पद के अनुरूप की जाएगी।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
			यथावत।	समीक्षा की जाए।

क्रमांक	31	ट्रेन पार्सिंग (समाधि) बरौनी डिपो के कर्मचारियों हेतु मूलभूत समस्या के संबंध में जो निम्नलिखित है ।	
मद सं०	45/23	1. शुद्ध पेय जल का अभाव है । 2. बरौनी जं० पर अवस्थित समाधि/ट्रेन पार्सिंग कार्यालय (एमजी) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय या मरम्मत किया जाय जिससे कर्मचारी सुरक्षित कार्य कर सके । 3. बरौनी वाशिंग पीट पर अवस्थित स्टोर (डिपो) में बसेई/समाधि/बरौनी को स्टोर का कार्यभार दिया गया है जिससे अनुरक्षण कार्य प्रभावित होता है । स्टोर का कार्यभार किसी कार्याधी को दिया जाय जिससे संरक्षा प्रभावित होता न हो । 4. समाधि डिपो, गाड़ी प्रकाश, डिपो, बरौनी में कर्मचारियों की सक्तियाँ काफी है जिसे यथाशीघ्र मरा जाय ।	
सम्बद्ध	St.DME	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		1. ट्रेन पार्सिंग बरौनी में प्लेटफार्म पर पीने के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था है । जिसे कार्यरत कर्मचारी द्वारा भी उपयोग किया जाता है । इसके अतिरिक्त कोचिंग डिपो बरौनी में शुद्ध पाये जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 250 लीटर प्रति घंटा का RO प्रस्थापित किया गया है । 2. ट्रेन पार्सिंग कार्यालय (एमजी) के मरम्मत कार्य हेतु समई(प०) को पत्र लिखा गया है । 3. भंडार के सुचारु रूप से संचालन हेतु भंडार में कार्याधी/लिपिक को पदस्थापित किया जा रहा है । 4. कार्मिक विभाग –समाधि डिपो गाड़ी प्रकाश/यातायात डिपो बरौनी में स्वीकृति पद-167 है, जिसके परिपेक्ष्य में कार्यरत बल-157, रिक्ति-10 जिसके लिए भर्ती अनुमान को Indend प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष में कुल 05 अभ्यर्थियों का पैन्ल प्राप्त हुआ है । पदस्थापना/नियुक्ति प्रक्रियाधिन है ।	यथावत ।
		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय

क्रमांक	32	रनिंग कर्मचारियों की पदस्थापना के संबंध में ।	
मद सं०	46/23	सोनपुर मंडल में लोको रनिंग कर्मचारियों का सामान्य वरीयता के तहत लोपा/माल से लोपा/सवारी में पदोन्नती हो रहा है इस पदोन्नती में बी०ओ०एस० से अधिक पदस्थापना करना पड़ता है । अतः संघ भोग करती है कि प्रोफार्मा पदोन्नती में स्थानान्तरण न करते हुए जो जहाँ उन्हें वहीं पदस्थापित किया जाय ।	
सम्बद्ध	St.DEE (TRO)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		प्राथमिक आवश्यकता एवं संरक्षित ट्रेन परिचालन के दृष्टिकोण से किया जाता है ।	मद बंद ।

क्रमांक	33	प्रत्येक रनिंग कर्मचारियों को प्रत्येक तीन वर्ष पर बैग या बैग भत्ता देना है।	
मद सं०	47/23	अतः संघ मॉग करती है कि रनिंग कर्मचारियों को बैग भत्ता ही दिया जाय।	
सम्बद्ध	Sr.DEE (TRO)	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		चर्चा बैठक में की जाएगी।	यदि पॉलिमी है तो इनको दिया जाएगा।

क्रमांक	34	सलोपा के लिए टूल्स बॉक्स उपलब्ध कराने के संबंध में।	
मद सं०	48/23	लोको पायलट की तरह ही सलोपा को कई प्रकार टूल उपलब्ध कराया गया है और कुछ आवश्यक निजी समान जैसे कपड़े, पानी का बोतल आदि लेकर गाड़ी कार्य करना पड़ता है जिससे सलोपा का भी बैग का वजन काफी हो जाता है।	
सम्बद्ध	Sr.DEE (TRO)	अतः संघ मॉग करती है कि लोपा की तरह सलोपा को भी प्रत्येक लॉबी में टूल बॉक्स उपलब्ध कराया जाय।	निर्णय
		अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय
		वित्तीय वर्ष-2023-2024 में उचित लेखाशीर्ष में निधि का उपलब्धता नहीं है।	प्रावधानानुसार समीक्षा की जाए।

क्रमांक	35	रनिंग रूम में कार्यरत हेल्पर को रनिंग रूम से हटाने के संबंध में।	
मद सं०	49/23	रनिंग रूम सोनपुर में कार्यरत हेल्पर का लियेन मैकेनिकल विभाग में निर्धारित किया गया था।	
सम्बद्ध	Sr.DME	अतः संघ यह मांग करती है कि पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार इनका लियेन मैकेनिकल विभाग में किया जाय।	निर्णय
		अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय
		समाहि विभाग के कर्मचारी जो वर्तमान में रनिंग रूम में कार्य कर रहे हैं, उनको पुनः अपने मूल विभाग में स्थानान्तरण करने हेतु कार्मिक विभाग को कई बार पत्र प्रेषित किया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त पत्र का अनुपालन नहीं हो पाया है।	अविलम्ब निपटारा किया जाए।
		एवम् कृत कार्यावाही से भी अवगत नहीं कराया गया है।	
		कार्मिक विभाग-सक्षम अधिकारी के समक्ष भिसिल प्रस्तुत है।	

क्रमांक	36	यांत्रिक विभाग के कैरेज के जोई का वसेई के पद पर पदोन्नती के संबंध में।
मद सं०	50/23	यांत्रिक विभाग के कैरेज के जोई का वसेई के पद पर पदोन्नति के संबंध में रेलवे बोर्ड के कैडर रिस्ट्रकचरिंग 2013 के अनुसार संरक्षा कैडर में वसेई एवं जोई का कैडर 67.33 में रखना है जिसका अनुपालन नहीं होने से कर्मचारी पदोन्नती प्रभावित हो रहा है।
संबद्ध	DPO(IC)	अतः संघ मॉग करती है कि नये रिस्ट्रक चरिंग के तहत बी0ओ0एस0 निर्धारित कर पदोन्नती का लाभ दिया जाय।
		अद्यतन अभियुक्ति
		समाडि विभाग – कार्मिक विभाग से संबंधित है। कार्मिक विभाग –समाडि विभाग के सीसेई एवं जोई का वर्ष-2013 में Restructuring किया जा चुका है, जिसके अनुसार वर्तमान में सीसेई एवं जोई का स्वीकृत पद कमशः सीसेई-52, जोई-48 है। विभाग द्वारा कैडर Review का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
		पिछले बैठक का निर्णय
		कार्मिक विभाग द्वारा समीक्षा की जाए।

क्रमांक	37	वसेई/कैरेज/नालयणपुरअनंत में कर्मचारियों एवं समनार् की कमी के संबंध में।
मद सं०	51/23	उक्त जगह पर कर्मचारियों के रिक्तियों को बावजूद गाड़ी फिट करने के लिए मात्र चार घण्टे का समय निर्धारित है। ऐसे स्थिति में गाड़ियों का परीक्षण सही से नहीं हो पाता है। साथ ही Break block, Break shoe key, Door eye bolt, push rod safety नकल पीन आदि की भारी कमी रहती है। ऐसे में जबरन फीट दिलवाना संरक्षा से खिलवाड़ है। अतः संघ यह मॉग करती है कि उक्त कमी को दूर किया जाय।
संबद्ध	St.DME	अद्यतन अभियुक्ति
		पिछले बैठक का निर्णय
		समान उपलब्ध करा दिया गया है। आदमी की उपलब्धता जांच कर ली जाए।

क्रमांक	38	टावर बैगन चालक का वेतन निर्धारण के संबंध में।		
मद सं०	52/23	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार टावर बैगन चालक को भी वेतन निर्धारण 7वें वेतन आयोग के अनुसार रनिंग कर्मचारियों के अनुसार ही किया जाना था परंतु टावर बैगन चालक को फिटमेन्ट फैक्टर 2.57 से गुणा किया जबकि 3.01 से गुणा कर वेतन निर्धारण करना था। अतः संघ यह भोग करती है कि टावर बैगन चालक का सही फिटमेन्ट फैक्टर से वेतन निर्धारण कर एरियर का लाभ दिया जाय।		
सम्बद्ध	DPO(1C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-PC-VII/2017/17/5/5 dt.-12.04.2018 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार टावर बैगन ड्राईवर को रनिंग कर्मचारी के समतुल्य लाभ नहीं दिया जाना है।				
			कार्मिक विभाग द्वारा समीक्षा की जाए।	

क्रमांक	39	सोनपुर एवं नारायणपुर अनंत से कपूरीग्राम खण्ड में ट्रैकमेन्टेनर के लिए कोई गैंग हट नहीं है।		
मद सं०	53/23	अतः संघ भोग करती है कि सोनपुर स्टेशन के साथ-साथ उक्त खण्ड पर यथाशीघ्र गैंग हट का निर्माण किया जाय।		
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
सोनपुर में गैंगहट की निर्माण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्याप्त रेलवे क्वार्टर उपलब्ध है। ढोली में गैंगहट का निर्माण हो चुका है। नारायणपुर अनंत कार्य कराया जा रहा है।				
			वमई/समन्वय इसकी समीक्षा कर इसको कराया जाए।	

क्रमांक	40	ट्रैकमेन्टेनर को साइकिल भत्ता के संबंध में।		
मद सं०	54/23	ट्रैकमेन्टेनरों को अभी तक साइकिल भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः यह संघ भोग करती है कि ट्रैकमेन्टेनरों साइकिल भत्ता का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।		
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
सभी समई/सोनपुर मंडल को इस कार्यालय के पत्र सं०:-डब्ल्यू/9/ई-2/सर्कुलर/भाग-V/डब्ल्यू-6 दिनांक -22.12.2022 के द्वारा नियमानुसार साइकिल भत्ता का भुगतान करने हेतु पत्र दिया गया है।				
			इसका जांच की जाए।	

क्रमांक	41			
मद सं०	55/23			
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	<p>ट्रैकमेन्टेनर के कार्य अवधि के संबंध में । ट्रैकमेन्टेनर हमेशा मौसम के विरुद्ध कार्य करते हैं जिससे की ट्रैक अनुसंधान प्रभावित न हो परंतु इनसे निर्धारित समय सीमा अधिक कार्य लिया जाता है। जिससे सामाजिक एवं परिवारिक दायित्व निर्वाह नहीं कर पाते हैं एवं मानसिक तनाव में रहते हैं । अतः संघ यह मॉग करती है कि ट्रैकमेन्टेनर से 8 घण्टे से अधिक कार्य न लिया जाय एवं मौजनअवकाश भी 30 मिनट किया जाय।</p>		
	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	फ्रील्ड में इसको वर्मर्ड/समन्वय इसको लागू किया जाए।
	<p>ट्रैकमेन्टेनर से 8 घंटा ही कार्य लिया जाता है। और मौजन अवकाश के अनुरूप एवं रोस्टर से ही निर्धारित है। जहाँ तक मौजन अवकाश का समय कम करने का प्रश्न है। यह रोस्टर में बदलाव उच्च स्तर का मामला है।</p>			

क्रमांक	42			
मद सं०	56/23			
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	<p>सोनपुर मंडल में कार्यरत ट्रैकमैन को रैन कोट आपूर्ति करने के संबंध में । वर्षा आरम्भ होने से पूर्व ट्रैकमैनो को रैन कोटों की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि कर्मचारी सरक्षित परिचालन में निर्वाह रूप अपने कार्य सम्पादित कर सकें।</p>		
	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	मद बंद
	<p>ट्रैकमैन को रैन कोट आपूर्ति करा दिया गया है।</p>			

क्रमांक	43			
मद सं०	57/23			
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	<p>सोनपुर मंडल में सभी विभागों में विशेषकर अभियंत्रण एवं टीआरडी विभाग में कर्मचारियों को गलत ढंग से आरोपित करने के संबंध में। उदाहरणस्वरूप-1. मो0 हमजा ट्रैकमैन गैंग सं०-09 को कार्य के दौरान गलती के लिए दण्ड दिया गया जबकि वह कार्य क्षेत्र उसके अधीन नहीं है दूसरे कर्मचारी को बचाने लिए मो0 हमजा को आरोपी बनाया गया इसकी जाँच कर कार्यवाही किया जाय। 2.नितेश कुमार राय, टेक-11 एवं प्रदीप कुमार टेक-111। अधीन-वर्सेई/टीआरडी/सोनपुर के मामले को देखा जा सकता है।</p>		
	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	समीक्षा की जाए।
	<p>मो0 हमजा ट्रैकमैन गैंग सं०-09 में कार्यरत है। की रैन के पद पर गैंग सं०-09 गैंग वीट पूसा रोड-दुबहर के बीच है। कि०भी० 48/13.15 से 55/23-25 तक इन्ही के बीच में जुगल फिश प्लेट का वोल्ड लूज पाया गया और 20 अदद ECR गिरा हुआ पाया गया इसलिए SF 11 समर्ड/द०/मुजफ्फरपुर द्वारा दिया गया है। कर्मचारी का आरोप बेबुनियाद है।</p>			

क्रमांक	44	सोनपुर मंडल के अधिकांश गेटो पर चापाकल गेटो पर चापाकल का पानी पीने योग्य नहीं है। कई चालकलों से गंदा पानी आता है।		
मद सं०	58/23	उदाहरण स्वरूप गेट सं०- 81,82,83,86 आदि। अतः संघ मॉग करती है कि सभी गेटों के चापाकल ठीक कराकर पीने योग्य पानी की व्यवस्था किया जाय जिससे कर्मचारी को स्वच्छ जल प्राप्त हो सकें।		
सम्बद्ध	St.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति		
		नये चापकाल के लिए कार्य स्वीकृति हो चुका है। इसके अन्तर्गत कार्य कराया जाएगा।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
				यथावत।

क्रमांक	45	मानसी-सोमपुर रेलवे कॉलोनिजों में पुराने वृक्ष है जो सूख गये है हल्की बारिश एवं हवा बहने पर टूट कर गिरने का डर रहता है ऐसे वृक्ष गिरने से जान-माल का खतरा भी है। अतः संघ मॉग करती है कि पुराने वृक्षो को चिह्नित कर उनको कटवाया जाय।		
मद सं०	59/23	अद्यतन अभियुक्ति		
सम्बद्ध	St.DEN (C)	चर्चा बैठक में की जायेगी।	पिछले बैठक का निर्णय	इसको अविलम्ब पूरा किया जाए।

क्रमांक	46	रेल कर्मचारियों का पानी बिल प्रत्येक माह कटौती हो रहा है जबकि पानी सप्लाई हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। रोड साईडिस्टेशनों पर समरसेबल किया हुआ है लेकिन आवासों में सप्लाई नहीं दिया गया है। पानी हेतु चापाकल भी नहीं है और यदि है भी तो गर्मी के कारण सुख गये है। खरीक, महेराखुट, नाराणपुर स्टेशन आदि में देखा जा सकता है। अतः संघ मॉग करती है कि उक्त स्टेशन आवासों में भी पानी की समुचित सप्लाई प्रदान किया जाय।		
मद सं०	60/23	अद्यतन अभियुक्ति		
सम्बद्ध	St.DEN (C)	चर्चा बैठक में की जायेगी।	पिछले बैठक का निर्णय	समीक्षा की जाए।

क्रमांक	47	सहायक मंडल अभियंता, थानाबिहपुर अधीन सुपरवाइजर द्वारा मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करने के संबंध में।	
मद सं०	61/23	समई/थानाबिहपुर के पर्यवेक्षक द्वारा मनमाने ढंग से स्थानान्तरण गैंग परिवर्तन करके कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों के बार-बार कार्यस्थल परिवर्तन से भी परेशानी होती है। अतः संघ मॉग करती है कि जिसकी पदस्थापना जहाँ पर हो उससे वहीं कार्य लिया जाय।	
सम्बद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		चर्चा बैठक में की जायेगी।	Sr.DEN/C के द्वारा इसकी जांच की जाए।

क्रमांक	48	समाहि डिपों, गाड़ी प्रकाश डिपों एवं वातायान डिपों में कर्मचारियों की काफी कमी है साथ ही दिन प्रतिदिन बरौनी बेस से चलने वाली गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है। अतः संघ यह मॉग करती है कि कर्मचारियों की पदस्थापना यथाशीघ्र किया जाय।	
मद सं०	62/23		
सम्बद्ध	Sr.DME & DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		समाहि विभाग- कार्मिक विभाग से संबंधित है। कार्मिक विभाग-समाहि डिपों गाड़ी प्रकाश/वातायान डिपों बरौनी में स्वीकृति पद-167 है, जिसके परिपेक्ष्य में कार्यरत बल-157, रिक्ति-10 जिसके लिए भर्ती अनुभाग को Indend प्रेषित किया गया है, जिसके सापेक्ष में कुल 05 अभ्यर्थियों का पैनाल प्राप्त हुआ है। पदस्थापना/नियुक्ति प्रक्रियाधिन है।	पिछले बैठक का निर्णय
			मद बंद।

क्रमांक	49	बरौनी जं० पर एग्रीन लगाये जाने के संबंध में।	
मद सं०	63/23	बरौनी जं० पर प्लेटफार्म संख्या- 02 से 09 तक हाईड्रेन पार्इप के नीचे एग्रीन लगाया जाय। जिससे की समाहि, विद्युत एवं सफाई कर्मचारियों को गाड़ी के आगमन पर कार्य करने में कठिनाई न हो एवं सरंक्षित कार्य कर सके।	
सम्बद्ध	Sr.DEN (C) & Sr.DME	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		चर्चा बैठक में की जायेगी।	पिछले बैठक का निर्णय
			मद बंद।

क्रमांक	50	सेमापुर से मानसी खण्ड में रेल कॉलोनियाँ में विद्युत सप्लाई हेतु Over head wire काफी पुराना एवं जर्जर है जिस कारण हल्की वारिस एवं तूफान में तार टूट जाता है एवं विद्युत सप्लाई 02-03 दिन बंद रहता है जिस कारण कर्मचारी एवं उनके परिवार को काफी परेशानी उत्पन्न पड़ती है। अतः संघ भोग करती है कि अन्य जगहों की तरह ही विद्युत केवल एवं पोल लगाया जाय। जिससे कर्मचारियों के आवासों में निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति हो सके।		
मद सं०	64/23	अद्यतन अभियुक्ति		
सम्बद्ध	Sr.DEE	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	
		इस खण्ड में जितने सभी जर्जर ओवर हेड वायर हैं, उनके स्थान पर Aerial Bunch Cable(ABC) लगाने की प्रकिया चल रही है। अतिशीघ्र कार्य पूरा किया जाएगा।		

क्रमांक	51	टीआरडी डिप्टो/सोनपुर का 2019 के बकाया समयोपरि भत्ता का मद पी0एन0एम0 में बंद कर दिया गया परंतु आज तक 2019 के एल0एच0एस0 के बकाये समयोपरि भत्ता का भुगतान आज तक नहीं हुआ। अतः संघ यह भोग करती है कि उपरांत समयोपरि भत्ता का भुगतान यथाशीघ्र किया जाय।		
मद सं०	65/23	अद्यतन अभियुक्ति		
सम्बद्ध	Sr.DEE/TRD & DPO(IC)	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	यथावत।
		टीआरडी विभाग- LHS 2019 से संबंधित समयोपरि भत्ता पर पूर्व में अमरेप्र-11/सोनपुर महोदय से अनुमोदन उपरांत दिनांक-31.01.2023 को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था, परन्तु लेखा विभाग के द्वारा बिना विधिद्विषण समयोपरि दावा भत्ता को 5000/- से ऊपर के रकम पर अनुमोदन हेतु कार्मिक विभाग के वापस किया गया था, तत्पश्चात् इस विभाग के द्वारा रू 5000/- से अधिक के रकम पर अमरेप्र -11 सोनपुर महोदय से अनुमोदन उपरांत दिनांक-19.06.2023 को कार्मिक विभाग को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है। कार्मिक विभाग-टीआरडी विभाग के कर्मचारियों का वर्ष-2019 का समयोपरि भत्ता अमरेप्र महोदय के अनुमोदन उपरांत लेखा विभाग में विधिद्विषण हेतु भेजा गया है। विधिद्विषणोपरांत अगली माह के नियमित वेतन बिल में भुगतान सुनिश्चित कर ली जाएगी।		

क्रमांक	52	टी0आर0डी0 डिपों, सोनपुर में कर्मचारियों के बैठने के लिए कोई रूम विहित नहीं है। पहले से जो रूम था उसे स्टोर रूम में बदल दिया गया है। साथ ही साईकिल स्टैंड भी नहीं है। अतः संघ यह मॉग करती है कि कर्मचारियों को बैठने के लिए रूम उपलब्ध कराया जाय एवं साईकिल स्टैंड का निर्माण कराया जाय।		
मद सं0	66 / 23			
सम्बद्ध	Sr.DEE/TRD	अद्यतन अभियुक्ति		
		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	
			इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक-ईएलडी/एसईई/ई/02/103 दिनांक-14.03.2023 एवं ईएलडी/एसईई/ई/02/138 दिनांक-19.06.2023 के द्वारा मंरेय (इंजी)/सोनपुर को मोटरसाइकिल स्टैंड एवं कर्मचारियों के बैठने के लिए रूम बनाने हेतु पत्राचार किया गया है।	
			वमविई/टीआरडी कमरा बनाने हेतु वमई संमन्वय को प्रस्ताव दिया जाए।	

क्रमांक	53	बरौनी टीआरडी , डिपो एवं सोनपुर डिपों के कर्मचारियों का यात्रा भत्ता एवं समयोंपरि भत्ता का भुगतान वर्ष 2021 से ही लंबित है ।		
मद सं0	67 / 23	अतः संघ यह माँग करती है कि उक्त बकाया भत्ता का अविलंब भुगतान किया जाय ।		
सम्बद्ध	Sr.DEE/TRD & DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		सभी समयोंपरि भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु कार्मिक विभाग को प्रेषित किया गया है ।		
		कार्मिक विभाग— 1.वित्तीय वर्ष-2021-22 के अंतर्गत सभी यूनिटों को लंबित यात्रा भत्ता जून/2023 माह में भुगतान कर दिया गया है ।		
		2. वर्ष-2021-22 का समयोंपरि भत्ता लंबित नहीं है। तथापि वर्ष-2019 का लंबित जो मद सं0-65/23 पर दर्शाया गया है, को विधिज्ञान हेतु लेखा विभाग को भेज दिया गया है ।		
		यथावत ।		

क्रमांक	54	बरौनी टीआरडी डिपों में महिला कर्मचारियों के लिए अलग चेजिंग रूम निर्माण की अति आवश्यकता है। जबकि एक रूम खाली है। अतः संघ यह मॉग करती है कि उक्त स्थल पर अलग चेजिंग रूम का निर्माण किया जाय।		
मद सं0	68 / 23			
सम्बद्ध	Sr.DEE/TRD & Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति		
		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय	
			अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।	
			मद बंद। इसको मर्ज किया जाए।	

क्रमांक	55	पी0आर0एस0 मुज0 में कर्मचारियों की भारी कमी है। जिससे कर्मचारियों को समय पर विश्राम एवं छुट्टी नहीं मिल पाता है। अतः संघ भोग करती है कि बी0ओ0 एस0 के अनुसार कर्मचारियों का पदस्थापना किया जाय।	
मद सं0	69/23		
सम्बद्ध	St.DCM	अद्यतन अभियुक्ति	
		बी0ओ0एस0 के अनुसार मुजफ्फरपुर PRS कार्यालय में कुल 11 पद स्वीकृत है। मुजफ्फरपुर में आरक्षण संवर्ग के कुल 09 कर्मचारी पदस्थापित है। तथा 01 कर्मचारी बुकिंग कार्यालय से आरक्षण कार्यालय में कार्य कर रहे है। नए पैन्ल में आए कर्मचारियों की ट्रेनिंग के बाद बी0ओ0एस0 के अनुसार कर्मचारियों की पदस्थापना अगले तीन से चार माह में कर दी जाएगी। विगत तीन महिने में मुजफ्फरपुर PRS के कर्मचारियों द्वारा उपभोग किए गए अवकाश का विवरण संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर PRS के कर्मचारियों द्वारा अवकाश का उपभोग नियमित रूप से किया जा रहा है।	मद बंद।
		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय

क्रमांक	56	टी0टी0ई0 रेस्ट हाउस की सुविधा गार्ड/लोको पायलट के रनिंग रूम के समान देने के संबंध में। रेलवे बोर्ड के पत्रांक सं0-2018/टीजी-बी/1/3 दिनांक-17.05.2023 के अनुसार टीटीई रेस्ट हाउस की सुविधा गार्ड/लोको पायलट के रनिंग रूम के समान दिया जाना है जिसमें खाने की सुविधा [शांमिल है परन्तु बरौनी रेस्ट हाउस की स्थिति बहुत खराब है चादर, तकिया, मखरदानी, आदि बहुत ही गंदे स्थिति में रहता है। एक ही कुलर है जो खराब है पीने का पानी का आर0ओ0 कई महीनों से खराब है। अतः यूनियन भोग करती है कि रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार रनिंग रूम के समान सुविधा उपलब्ध कराया जाय।	
मद सं0	70/23		
सम्बद्ध	St.DCM	अद्यतन अभियुक्ति	
		बरौनी टीटीई रेस्ट हाउस में गार्ड/लोको पायलट के रनिंग रूम के तर्ज पर सुविधा दिए जाने हेतु PH-53 के तहत Air Conditioning करने के लिए वर्ष 2023-24 में प्रस्ताव दिया गया है। पूर्व में भी यह प्रस्ताव दिया गया था, परन्तु निधि की उपलब्धता नहीं रहने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका था। बरौनी टीटीई रेस्ट हाउस में House Keeping, Cleaning एवं खाने की सुविधा हेतु निविदा की प्रकिया की जा रही है। बरौनी टीटीई रेस्ट हाउस में अन्य सामानों यथा स्टील अलमीरा, लॉकर, Microwave, Water Cooler with RO, वाशिंग मशीन, यू. शाइनर, Insect killer तथा इलेक्ट्रीक आयरन आदि के प्रावधान हेतु प्रस्ताव प्रकियाधीन है। वर्तमान में एक RO कार्यरत है। अधिकांश कुलर में मोटर खराब हो जाने के कारण कुलर कार्य नहीं कर पा रहा है। इस संबंध में विद्युत विभाग से लगातार संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रयास जारी है।	यथावत।
		पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय

क्रमांक	57	गाड़ी संख्या- 13420 जो मुज0 से भागलपुर तक जाती है उसमें 3 एसी और दो दो प्रधानयान कोच है उसमें कंडक्टर के लिए एसी में बर्थ नहीं है जबकि यही गाड़ी जब 13419 बनकर भागलपुर से मुज0 आती है तब उसमें 7 नं0 एसी 3 में कंडक्टर के लिए सीट है ।	
मद सं0	71/23	अतः यूनियन मॉग करती है कि 13420 मे भी 7 नंबर सीट कंडक्टर को एलॉट धिका जाय ।	
सम्बद्ध	Sr.DCM	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		रेलवे बोर्ड के वाणिज्य परिपत्र सं0 72/2017 के आलोक में केवल एसी कोचों की मैनिंग हेतु एसी कोच में टी.टी.ई के लिए बर्थ देने का प्रावधान है । इस गाड़ी में इस रेलवे द्वारा 3 AC एवं Sleeper कोचों की मैनिंग किए जाने हेतु टी.टी.ई हेतु 3 AC Coach में बर्थ उपलब्ध है । गाड़ी संख्या- 13419 के टी.टी.ई के बर्थ हेतु पूर्व रेलवे द्वारा कार्यवाही की जानी है । तथापि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 C/442/TC/Misc/Son/21 दिनांक 15.06.2023 के द्वारा मुख्यालय को सूचित किया गया है । ARP (Advance Period of Reservation) के बाद इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।	मद बंद ।
		पिछले बैठक का निर्णय	

क्रमांक	58	रेलवे अस्पताल गढ़हरा की जर्नर स्थिति के संबंध में ।	
मद सं0	72/23	रेलवे अस्पताल गढ़हरा के दिवार चौखट, बेड , स्ट्रेचर फर्नीचर आदि जर्नर स्थिति में है इसमें सुधार की आवश्यकता है ।	
		अतः संघ यह मॉग करती है कि रेलवे अस्पताल उपरोक्त कमी को दूर किया जाय ।	
सम्बद्ध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	निर्णय
		पिछले बैठक का निर्णय	
		इस संबंध में अमुचिषी/गढ़हरा द्वारा संबंधित विभाग को सूचित किया गया है ।	
			Sr.DEN/C इसको ठीक कराया जाए । मविई / सामान्य विद्युत संबंधी कार्य को पूर्ण करायें

क्रमांक	59	उप स्टेडी, सोनपुर कार्यालय में महिलाओं के लिए वाथरूम निर्माण के संबंध में।		
मद सं०	73/23	उप-स्टेडी कार्यालय सोनपुर में लगभग 15 महिलायें विभिन्न पालियों में कार्य करती है। रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशानुसार महिला के लिए अलग वाथरूम होना चाहिए। अलग वाथरूम नहीं रहने से महिलायें असहजता महसूस करती है।		
सम्बद्ध	Sr.DOM & Sr.DEN (C)	अतः संघ मॉग करती है कि महिलाओं के लिए अलग से वाथरूम का निर्माण करवाया जाय।		
		अद्यतन अभियुक्ति	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
		परिचालन विभाग-इस संबंध में स्टेडी/सोनपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से आईओडब्ल्यू/सोनपुर से समर्पक कर इसका निदान यथाशीघ्र किया जाए। इंजी० विभाग-चर्चा बैठक में कि जायेगी।		मद बंद। इसको मर्ज किया जाए।

क्रमांक	60	विधुत लोको शेड, बरौनी के निम्नलिखित समस्या के संबंध में।		
मद सं०	74/23	1. विधुत लोको शेड बरौनी के रेल आवास सं०-202,201,301 के सामने स्ट्रीट लाईट हार्डमास्क लगावाया जाय। कई महिनो से अंधरा है। 2. विधुत लोको शेड/बरौनी में आर० ओ० नहीं है, जिससे कर्मचारी को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। अतः आर० ओ० लगवाया जाय। 3. विधुत लोको शेड/बरौनी का आवासों का पुल निर्धारण किया जाय।		
सम्बद्ध	Sr.DEE(TRS)	अद्यतन अभियुक्ति		
		चर्चा बैठक में कि जायेगी।	पिछले बैठक का निर्णय	निर्णय
				यथावत।

मंडल रेल प्रबंधक महोदय का संबोधन : इसीआरकेयू के विभिन्न स्टेशनों से आये सम्मानित पदाधिकारीगण, सोनपुर मंडल के अधिकारीगण का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि आज की पीएनएम बैठक में पुराने एवं नये सभी मदों पर चर्चा हुई। कुछ मदों पर प्रगति हुई है और कुछ ऐसे मद हैं जिन पर उम्मीद के हिसाब से प्रगति नहीं हुई। वैसे मद जिन पर निर्णय हो चुका है, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको क्रियान्वित किये जाने का निर्देश शाखाधिकारियों को दिया गया है। इंद्रोडक्टरी के माध्यम से प्रमुखतः दो तरह के मुद्दे उठाए गए- पहला मुद्दा संरक्षा से तथा दूसरा मुद्दा वर्किंग से है। सेप्टी सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं, उसमें जो अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने चाहिए, उसको किया गया है। रेलवे में सेप्टी सर्वोपरि है। सेप्टी है तो रेलवे है, सेप्टी नहीं है तो रेलवे नहीं है। इसीलिए, पिछले प्रेम की

बैठक में चर्चा बिन्दु संरक्षा और सुरक्षा रखा गया था। जिसमें संरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या-क्या निरोधनात्मक उपाय किये जाने हैं, पर बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। सेप्टी रेलवे की सबसे पहली प्राथमिकता है, इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने भी यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि सेप्टी के लिए जो भी उपाय संभव है, वह किए जाए। जहां तक सामग्री की आपूर्ति की समस्या है उसके बारे में मैं आज सभी शाखाधिकारियों को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि संरक्षा से जुड़े सामग्री हेतु निधि की कोई समस्या नहीं है। संरक्षा के शीर्ष पर निधि पर्याप्त है। इसीलिए, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काफी कुछ ऑटोमैटिक हो गया है। लेकिन अभी तक हमारी प्रणाली पूर्ण रूप से ऑटोमैटिक नहीं हैं इसमें अभी भी मैनुअल इंटरवेंशन है। इसीलिए, हमें संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से चौकस रहना है। अगर कर्मचारी की कोई समस्या है यथा: दैनिक समस्या, सर्विस से संबंधित समस्या या ज्ञान में कमी की समस्या है, उसको दूर करने के हमें फुलपुफ सिस्टम बनाना होगा। आज के परिवेश में एक भी एक्सीडेंट को काफी गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। रेलवे बोर्ड का जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य है, को ग्रास रूट के कार्यरत कर्मचारियों को समझना होगा। कर्मचारियों को कार्य को सजगतापूर्वक संपादन करने के लिए जो भी जरूरी सुविधायें हैं उसको मुहैया कराया जाये। अभी वर्तमान में जो मामला है वह गेट खुला रखने का है। इसमें जांच के क्रम में पाया गया कि स्टेशन से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किया गया लेकिन बंद नहीं किया गया था। यह संरक्षा से जुड़ा ऐसा मामला है जिसमें कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। सेप्टी से जुड़े मामले में इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और न ही मविष्य में की जाएगी। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें सर्वसंबंधित को नियम की जानकारी थी अथवा नहीं, कहना मुश्किल है। यदि डी एण्ड आर प्रोसेस में कोई त्रुटि रह गई है, तो उसको किस प्रकार से त्रुटिरहित प्रक्रिया की जानी है उसके लिए भी नियम हैं। नियमानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों की जो भी वास्तविक समस्याये हैं, उसको दूर किया जायेगा। हमें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा कार्य गुणवत्तापूर्ण हो। मैं हमेशा से यही कहता हूं कि कार्य गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता का मानक हमारे मंडल में अच्छा नहीं है, इसमें सुधार लाने की जरूरत है। जहां तक सामूहिक परिवाद की बात है तो शाखाधिकारियों को अपने स्तर पर इसकी जांच कराई जाए तथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की शिकायतों में सर्वसंबंधित पर कठोर कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं की जानी है। शाखाधिकारी स्तर पर नीचे के स्तर पर जिस तरह के निर्देश जारी किये जाने चाहिए, उसमें काफी अभाव है। कुछ बातें यूनियन के तरफ से इस पटल पर रखी गई हैं, उसमें कुछ कर्मचारियों के बारे में हैं। संबंधित शाखाधिकारी उस संबंध में गहनतापूर्वक जांच लें और नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि कमजोर पर कार्रवाई की जा रही है और मजबूत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो यह काफी गलत बात है। इस बात से मैं काफी निराश हूं। सभी शाखाधिकारी इस चीज का विशलेषण करें तथा इसपर विधि सम्मत कार्रवाई करें।

मकाधि (प्रभारी)/सोन- आज की 35वीं पीएनएम काफी सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई। सभी मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। कुछ मद बन्द भी हुए हैं और कुछ मदों पर ठोस निर्णय लिया गया है। इसके बाद मकाधि/प्रभारी महोदय ने सभा में उपस्थित तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को लंच हेतु आमन्त्रित करते हुए सभा का समापन किया।

(एस10 सी0 त्रिवेदी)
मंडल मंत्री / ईसीआरकेयू

(दीपक राज राय)
मकाधि(प्र0)/सोन